



रेल पहिया कारखाना

RAIL WHEEL FACTORY

प्रविस/रेपका/यलहंका का कार्यालय

Office of the PFA,

Yelahanka, Bangalore - 560 064.

कार्यालय आदेश सं. रेपका/लेख्खा/स्था/ESTT/479 दिनांक 26.06.2019

OFFICE ORDER No. RWF/ACS/ADMN/ESTT/479 Dated: 26.06.2019

श्री. एस सेल्वा कुमार., पुत्र स्वर्गीय सुभन पी, वरी. टेक्निशियन/ रे.प.का, जिन्हें अनुकंपा के आधार पर इस कार्यालय के नियुक्ति पत्र सं.रेपका/ए.सी.एस/पीएफ/एस.के दिनांक 26.06.2019 में निर्धारित निबंधनों और शर्तों को स्वीकारने पर उन्हें आर एस(आर पी) नियम 2016 के लेवल 2 में वेतन रु.19,900/-और समय-समय पर लागू मंहगाई भत्ता व अन्य भत्तों पर दिनांक 26.06.2019 से अस्थायी लेख्खा लिपिक पर नियुक्ति दी जाती है।

Shri. S Selva Kumar, S/o Late P. Subban, Ex-Sr.Technician/Mech./RWF, who has accepted the terms and conditions stipulated in the offer of appointment letter No.RWF/ACS/PF/SK dt. 26.06.2019, issued to him, is provisionally appointed as Temporary Accounts Clerk on pay Rs.19,900/- in level 2 of RSRP Rules, 2016 plus Dearness and other allowances as admissible to her from time to time on Compassionate grounds with effect from 26.06.2019.

उपरोक्त नियुक्ति अनंतिम है और उन्हें 02 वर्ष की अवधि के भीतर कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. और हिंदी में 25 श.प्र.मि. की निर्धारित टंकण प्रवीणता अर्जित करनी होगी अन्यथा बिना कारण बताए उनकी सेवाओं को कनिष्ठ लिपिक के पद से गैर-लिपिकीय संवर्ग में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

The above appointment is provisional subject to his acquiring the prescribed typing proficiency of 30 W.P.M in English or 25 W.P.M in Hindi on computer within a period of 02 years, failing which his services as Accounts Clerk shall be shifted to Non-Ministerial cadre without assigning any reasons whatsoever.

वे राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा शासित होगा और वे रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन पेंशन एवं अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होगा ।

He will be governed by the National Pension System and he is not entitled for pension and other benefits under the beneficiary Railway Services (Pension) Rules, 1993.

उन्हे परीवीक्षणाधीन लेख्खा लिपिक के लिए तीन महिने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना होगा और दो बार के भीतर परीक्षा पास करना होगा ।

He has to undergo training prescribed for the Probationary Accounts Clerks for a period of three (03) months and should pass the training test within two attempts.

Contd...2

उन्हे प्रशासन ध्वारा समय - समय पर निर्धारित परीक्षाओं या विभागिय परीक्षाओं मे भाग लेना होगा और उनमे ऊतीर्ण होना होगा । परीक्षा मे भाग न लेना या उनमे ऊतीर्ण न होने पर वरियता कम हो सकती हैं ।

He has to appear for such departmental examination or prescribed examination as may be prescribed by the Administration from time to time and pass the same. Failing to appear and / or pass the same will result in loss of his seniority.

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता हैं

This issues with the approval of Competent Authority.

[Signature] 20/6/15
वरि. सहायक वित्त सलाहकार

Sr. ASST. FINANCIAL ADVISER

कृते प्रधान वित्त सलाहकार

For PRINCIPAL FINANCIAL ADVISER

वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार
Sr Asst. Financial Adviser
रेल पहिया कारखाना
Rail Wheel Factory
बैंगलोर / Bangalore

प्रतिलिपि :- अंग्रेजी पाठानुसार 1 / Copy to:

- 1) PCPO/RWF/YNK
- 2) PS to PFA : for the kind information of PFA
- 3) Dy. FA & CAO-I & II – Sr. EDPM/MIS Center.
- 4) Sr. AFA/AFA
- 5) Sr. SC/RPF.
- 6) Audit Officer/RWF
- 7) All Sr. SO's.ACC/Sr.ISA.
- 8) Individual
- 9) O.O. Register
- 10) P. File.